

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ3(ख)ए-3083/2013/अलेसे-III/373

दिनांक :- 3-3-2023

कार्यालय आदेश

श्री अश्विनी धनावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 11424) कार्यालय तहसीलदार, सिद्धमुख (चूरु) को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एम.एस.सी. (पर्यावरण विज्ञान) परीक्षा सत्र जुलाई-2022 हेतु पत्राचार माध्यम से प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



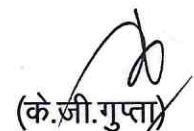
(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ3(ख)ए-3083/2013/अलेसे-III/373

दिनांक :- 3-3-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक



अति. निदेशक (कार्मिक-II एवं III)